

**समाहरणालय, मधेपुरा**  
(आपदा प्रबंधन शाखा)

**-: आदेश :-**

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-130/(स0अनु0), /आ0प्र0, दिनांक-24.02.2016 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -उपमुख्य शीर्ष 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष-0008-गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड-N2235602000008 मद में कुल मो0-4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचलाधिकारी, मधेपुरा को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्नवत् उपावंटित किया जाता है :-

क्रम सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
01	02	03	04	05
01	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	4,12,700=00	4,00,000=00	8,12,700=00
02	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	8,00,000=00	-	8,00,000=00
03	अंचल अधिकारी, आलमनगर	16,00,000=00	-	16,00,000=00
04	अंचल अधिकारी, चौसा	8,00,000=00	-	8,00,000=00
05	अंचल अधिकारी, पुरैनी	12,00,000=00	-	12,00,000=00
	कुल-	48,12,700=00	4,00,000=00	52,12,700=00

(मो0-चार लाख रुपये)

**उपावंटन की शर्तें :-**

- (1) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -उपमुख्य शीर्ष 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष-0008-गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड-N2235602000008 मांग संख्या-39 युनिट कोड 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (3) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक-15.03.2016 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

- (4) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (5) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।
- (6) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-  
जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक : .....123...../ आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक : .....29.2.16.....

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ सिंहेश्वर/ आलमनगर/ चौसा/ पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
मधेपुरा।